रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 445] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 25, 1994/कार्तिक 3, 1916
No. 445] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 25, 1994/KARTIKA 3, 1916

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 1994

सा.का.नि. 775(अ)—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 13 की उप-धारा (1) और (2) के साथ पठित धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, आशुलिपिक सेवा (समूह "ख" और "ग" पद) भर्ती नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, आशुलिपिक सेवा (समूह "ख" और "ग" पद) भर्ती संशोधन नियम, 1994 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, आशुलिपिक सेवा (समूह "ख" और "ग" पद) भर्ती नियम, 1989 की अनुसूची में,—

(क) स्तम्भ 1 में, "निजी सचिव", "ज्येष्ठ निजी सहायक" और "आशुलिपिक श्रेणी "घ" की प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः "1. निजी सहायक, "2. ज्येष्ठ निजी सहायक" और "4. आशुलिपिक श्रेणी "ब" प्रविष्टियां रखी जाएंगी।

(ख) स्तम्भ 1 में, "कोर्ट मास्टर (आशुलिपिक श्रेणी ग) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

आनुसूची

पद का नाम	पदों की सं. संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम, 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
कोर्ट मास्टर (आशुलिपिक श्रेणी "ग")	66* (1994) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	1640-60-2600-द.रो.-75-2900 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर नियत की गई निर्णायक तारीख को 18 से 25 वर्ष के बीच। केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों और केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
8	9	10
आवश्यक : (1) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य (2) आशुलिपि (अंग्रेजी/हिन्दी) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति। वांछनीय : आशुलिपि (अंग्रेजी/हिन्दी) में 120 शब्द प्रति मिनट की गति। टिप्पण : 1. अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। 2. अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	नहीं	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जायेगा।
11	12
50 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रोन्नति द्वारा। 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।	प्रोन्नति : (1) 25 प्रतिशत रिक्तियां ऐसे आशुलिपिक श्रेणी 'घ' में से, जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम पांच वर्ष नियमित सेवा की है उनकी ज्येष्ठता के क्रम में अयोग्य को अस्वीकृत किए जाने के अधीन रहते हुए, प्रोन्नति द्वारा भरी जाएगी। (2) 25 प्रतिशत रिक्तियां ऐसे आशुलिपिक श्रेणी 'घ' में से जिन्होंने कम से कम तीन वर्ष नियमित सेवा की है। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए समय-समय पर आयोजित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर योग्यता क्रम से भरी जाएंगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाए
13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :—	लागू नहीं होता।"
1. *उपाध्यक्ष—अध्यक्ष	
2. *सदस्य—सदस्य	
3. *रजिस्ट्रार, प्रधान शाखा—सदस्य।	
*(अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे)	

[सं. ए-12011/6/93-ए.टी.]

यू.एस. तिवारी, अवर सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियम, भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 455(अ) तारीख 20 अप्रैल, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें उसके पश्चात सा.का.नि. सं. 367(अ) तारीख 27-3-1992 द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, 25th October, 1994

GSR 775(E).—In exercise of the powers conferred by Section 36 read with sub-sections (1) and (2) of Section 13 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Administrative Tribunal, Stenographers Service (Group 'B' and 'C' Posts) Recruitment Rules, 1989, namely :

1. (1) These rules may be called the Central Administrative Tribunal, Stenographers Service (Group 'B' and 'C' Posts) Recruitment Amendment Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Central Administrative Tribunal Stenographers Service (Group 'B' and 'C' posts) Recruitment Rules, 1989 :—

(a) In column 1, for the entries 'Private Secretary", "Senior Personal Assistant" and "Steno Grade 'D' ", the entries "1. Private Secretary", "2. Senior Personal Assistant" and "4. Stenographer Grade 'D' " shall respectively be substituted;

(b) For the entry "Court Master (Steno Grade 'C')" in Column 1, and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

Name of Post	Number of post	Classification	Scale of Pay	Whether of Selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
"3. Court Master (Stenographer Grade 'C')	66*(1994) *Subject to variation dependent on work-load	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted Ministerial	Rs. 1640-60-2600-EB-75-2900	Non-Selection.

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the CCS (Pension) Rules, 1972	Age limit of direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
6	7	8	9	10
Not Applicable	Between 18 and 25 years on the crucial date as fixed by the Central Government from time to time. (Relaxable for Government servants and Central Administrative Tribunal employees upto five years, in accordance with the orders issued by Central Government).	Essential : (1) Matriculation or equivalent. (2) A speed of 100 wpm in shorthand (English/Hindi) Desirable : A speed of 120 wpm in shorthand (English/Hindi). Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates who are otherwise well qualified. Note 2 : Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the reserved vacancies.	No	2 years

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/ transfer/deputation to be made	If a departmental promotion committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
11	12	13	14
50% by direct recruitment through Staff Selection Commission failing which by promotion 50% by promotion	Promotion : (i) 25% of the vacancies shall be filled in by promotion amongst stenographers Gr. 'D' who have rendered not less than 5 years' regular service in the grade in the order of their seniority subject to the rejection of the unfit. (ii) 25% of the vacancies shall be filled in from amongst Stenographers Grade 'D' who have rendered not less than 3 years' regular service in the order of merit on the result of a departmental competitive examination held from time to time for the purpose by the Staff Selection Commission.	Departmental Promotion Committee consisting of :— 1. *Vice Chairman—Chairman 2. *Member—Member 3. Registrar, Principal Bench—Member *(To be nominated by Chairman, CAT)	Not applicable".

[No. A-12011/6/93-AT]
U.S. TIWARI, Under Secy.

Foot Note : The Principal Rules were published in the Gazette of India vide G.S.R. No. 455(E) dated 20th April, 1989 and subsequently amended vide GSR No. 367(E) dated 27-3-1992.

2434 GI/94—2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controllor of Publications, Delhi-110954, 1994